

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या: एस०पी०एम०यू/एम०आई०एस०/फार्मस रजि०/2014-15/51-बी/फालोअप फार्मेट/ दिनांक: 22-12-2014

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में एम०सी०टी०एस० फैसिलिटी बेस्ड कार्यक्रम हेतु एम०सी०टी०एस० फालोअप फार्मेट की प्रिंटिंग हेतु आबंटित धनराशि के व्यय हेतु मानकों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी०आई०पी० वर्ष 2014-15 में मिशन फ्लैक्सीपूल मद के उपमद एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:-

"Printing of MCTS follow up formats/Services due list/work plan to capture the service delivery data after immunization session @ Rs 3/ASHA/Month @ 1000 population. Printing should be done based on competitive bidding and by following govt protocols as per FMR code B.15.3.2.2 for financial year 2014-15."

ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में प्रिन्टिंग ऑफ एम०सी०टी०एस० फालोअप फार्मेट/ सर्विस डियू लिस्ट/ वर्क प्लान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद के समस्त ब्लॉक हेतु फालोअप फार्मेट हेतु रू० 3/- प्रति आशा प्रति माह @ 1000 जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत किया गया है, जिसे भारत सरकार के मानकों के अनुसार जनपद/ब्लॉक स्तर पर व्यय किया जाएगा।

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार है:-

No.	District	No of ASHAs - 128753	Approved @ Rs 3.0/ASHA/ month@1,000 population for printing of follow up formats to capture the service delivery data after immunization. under FMR code B.15.3.2.2
1	2	03	(Col. 03 X Rs 36)
1	Agra	2135	76860
2	Firozabad	1256	45216
3	Mainpuri	1453	52308
4	Mathura	1544	55584
5	Aligarh	2196	79056
6	Etah	1439	51804
7	Hathras	1105	39780
8	Kashganj	1065	38340
9	Allahabad	3738	134568

10	Fatehpur	1748	62928
11	Kaushambi	1272	45792
12	Pratapgarh	2907	104652
13	Azamgarh	2817	101412
14	Ballia	2567	92412
15	Mau	1629	58644
16	Bareilly	1905	68580
17	Budaun	2090	75240
18	Pilibhit	1011	36396
19	Shahjahanpur	1902	68472
20	Basti	2028	73008
21	Sant K Nagar	1138	40968
22	Siddharth N	1786	64296
23	Banda	1096	39456
24	Chitrakoot	739	26604
25	Hamirpur	866	31176
26	Mahoba	645	23220
27	Bahraich	2202	79272
28	Balrampur	1463	52668
29	Gonda	2533	91188
30	Shrawasti	933	33588
31	Ambedkar N	2362	85032
32	Amethi*	1654	59544
33	Barabanki	2551	91836
34	Faizabad	2343	84348
35	Sultanpur	2343	84348
36	Deoria	2308	83088
37	Gorakhpur	2328	83808
38	Kushinagar	2737	98532
39	Maharajganj	1998	71928
40	Jalaun	872	31392
41	Jhansi	1116	40176
42	Lalitpur	758	27288
43	Farrukhabad	1199	43164
44	Auraiya	1003	36108
45	Etawah	1116	40176
46	Kannauj	1492	53712
47	Kanpur Dehat	1639	59004
48	Kanpur Nagar	1423	51228
49	Hardoi	2608	93888
50	Lakhimpur K	2978	107208
51	Lucknow	1269	45684
52	Rae Bareli*	2368	85248
53	Sitapur	2935	105660
54	Unnav	2268	81648
55	Bagpat	892	32112
56	Bulandshahar	2100	75600
57	G B Nagar	549	19764

58	Ghaziabad	526	18936
59	Hapur	514	18504
60	Meerut	1339	48204
61	Mirzapur	1673	60228
62	Sonbhadra	1115	40140
63	SRavidas N	1200	43200
64	Bijnor	2197	79092
65	JP Nagar	945	34020
66	Moradabad	1521	54756
67	Rampur	1389	50004
68	Sambhal	1405	50580
69	Muzaffarnagar	1610	57960
70	Saharanpur	1804	64944
71	Shamli	810	29160
72	Chandauli	1618	58248
73	Ghazipur	2980	107280
74	Jaunpur	3877	139572
75	Varanasi	1813	65268
Total		1,28,753	46,35,108

*पत्रांक: एम.डी.-कैम्प/2014-15/1647 दिनांक: 04.12.2014 के क्रम में जनपद अमेठी के 03 विकास क्षेत्र-सलोन, छतोह एवं डीह को जनपद रायबरेली में सम्मिलित करते हुए धनराशि निर्गत की जा रही है।

उपरोक्तानुसार ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में प्रिन्टिंग ऑफ एम0सी0टी0एस0 फालोअप फार्मेट/ सर्विस डियू लिस्ट/ वर्क प्लान हेतु प्रत्येक जनपद के समस्त ब्लॉक हेतु फालोअप फार्मेट हेतु धनराशि आवंटित किया जा रहा है।

कृपया उक्त मानकों के अनुसार एम0सी0टी0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

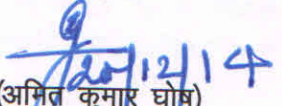
व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।

- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय


(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/फार्मस रजि०/2014-15/51-बी/फालोअप फारमेट/ तददिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त महाप्रबन्धक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
10. महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या: एस०पी०एम०यू/एम०आई०एस०/फार्मस रजि०/2014-15/51-बी/फालोअप फार्मेट/ दिनांक:

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में एम०सी०टी०एस० फैसिलिटी बेस्ड कार्यक्रम हेतु एम०सी०टी०एस० फालोअप फार्मेट की प्रिंटिंग हेतु आबंटित धनराशि के व्यय हेतु मानकों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी०आई०पी० वर्ष 2014-15 में मिशन फ्लैक्सीपूल मद के उपमद एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:-

"Printing of MCTS follow up formats/Services due list/work plan to capture the service delivery data after immunization session @ Rs 3/ASHA/Month @ 1000 population. Printing should be done based on competitive bidding and by following govt protocols as per FMR code B.15.3.2.2 for financial year 2014-15."

ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में प्रिंटिंग ऑफ एम०सी०टी०एस० फालोअप फार्मेट/ सर्विस डियू लिस्ट/ वर्क प्लान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद के समस्त ब्लॉक हेतु फालोअप फार्मेट हेतु रु० 3/- प्रति आशा प्रति माह @ 1000 जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत किया गया है, जिसे भारत सरकार के मानकों के अनुसार जनपद/ब्लॉक स्तर पर व्यय किया जाएगा।

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार है:-

No.	District	No of ASHAs - 128753	Approved @ Rs 3.0/ASHA/ month@1,000 population for printing of follow up formats to capture the service delivery data after immunization. under FMR code B.15.3.2.2
1	2	03	(Col. 03 X Rs 36)
1	Agra	2135	76860
2	Firozabad	1256	45216
3	Mainpuri	1453	52308
4	Mathura	1544	55584
5	Aligarh	2196	79056
6	Etah	1439	51804
7	Hathras	1105	39780
8	Kashganj	1065	38340
9	Allahabad	3738	134568

10	Fatehpur	1748	62928
11	Kaushambi	1272	45792
12	Pratapgarh	2907	104652
13	Azamgarh	2817	101412
14	Ballia	2567	92412
15	Mau	1629	58644
16	Bareilly	1905	68580
17	Budaun	2090	75240
18	Pilibhit	1011	36396
19	Shahjahanpur	1902	68472
20	Basti	2028	73008
21	Sant K Nagar	1138	40968
22	Siddharth N	1786	64296
23	Banda	1096	39456
24	Chitrakoot	739	26604
25	Hamirpur	866	31176
26	Mahoba	645	23220
27	Bahraich	2202	79272
28	Balrampur	1463	52668
29	Gonda	2533	91188
30	Shrawasti	933	33588
31	Ambedkar N	2362	85032
32	Amethi*	1654	59544
33	Barabanki	2551	91836
34	Faizabad	2343	84348
35	Sultanpur	2343	84348
36	Deoria	2308	83088
37	Gorakhpur	2328	83808
38	Kushinagar	2737	98532
39	Maharajganj	1998	71928
40	Jalaun	872	31392
41	Jhansi	1116	40176
42	Lalitpur	758	27288
43	Farrukhabad	1199	43164
44	Auraiya	1003	36108
45	Etawah	1116	40176
46	Kannauj	1492	53712
47	Kanpur Dehat	1639	59004
48	Kanpur Nagar	1423	51228
49	Hardoi	2608	93888
50	Lakhimpur K	2978	107208
51	Lucknow	1269	45684
52	Rae Bareli*	2368	85248
53	Sitapur	2935	105660
54	Unnav	2268	81648
55	Bagpat	892	32112
56	Bulandshahar	2100	75600
57	G B Nagar	549	19764

58	Ghaziabad	526	18936
59	Hapur	514	18504
60	Meerut	1339	48204
61	Mirzapur	1673	60228
62	Sonbhadra	1115	40140
63	SRavidas N	1200	43200
64	Bijnor	2197	79092
65	JP Nagar	945	34020
66	Moradabad	1521	54756
67	Rampur	1389	50004
68	Sambhal	1405	50580
69	Muzaffarnagar	1610	57960
70	Saharanpur	1804	64944
71	Shamli	810	29160
72	Chandauli	1618	58248
73	Ghazipur	2980	107280
74	Jaunpur	3877	139572
75	Varanasi	1813	65268
Total		1,28,753	46,35,108

*पत्रांक: एम.डी.-कैम्प/2014-15/1647 दिनांक: 04.12.2014 के क्रम में जनपद अमेठी के 03 विकास क्षेत्र-सलोन, छतोह एवं डीह को जनपद रायबरेली में सम्मिलित करते हुए धनराशि निर्गत की जा रही है।

उपरोक्तानुसार ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में प्रिन्टिंग ऑफ एम0सी0टी0एस0 फालोअप फार्मेट/ सर्विस डियू लिस्ट/ वर्क प्लान हेतु प्रत्येक जनपद के समस्त ब्लॉक हेतु फालोअप फार्मेट हेतु धनराशि आवंटित किया जा रहा है।

कृपया उक्त मानकों के अनुसार एम0सी0टी0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियों समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

4225-02-10

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/फार्मस रजि०/2014-15/51-बी/फालोअप फारमेट/ तद्दिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त महाप्रबन्धक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
10. महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक